विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2022 के प्रथम शुक्रवार हेतु डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद, द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-15 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
15 (क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि थाना सरायइनायत जनपद-प्रयागराज में एफ0आई0आर0 संख्या-0210, दिनांक 13 जुलाई, 2022 दर्ज की गयी है?	थाना सरायइनायत, जनपद-प्रयागराज में एफआईआर संख्या-0210/2022 दर्ज की गयी है, जिसकी तिथि दिनांक 13 जुलाई, 2022 न होकर दिनांक 13 जून, 2022 है।
(ख) यदि हाँ, तो उक्त एफ0आई0आर0 के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है?	एफआईआर संख्या-0210/2022 में साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगणों के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या-147/2022, दिनांक 17-07-2022 को प्रेषित किया गया है।
(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	जी हाँ, मु0अ0सं0-0210/2022, धारा-147/149/452/323/504/506, भादंवि दिनांक 13-06-2022 को थाना-सरायइनायत, जनपद-प्रयागराज पर 1. पीताम्बर मिश्र पुत्र कमलाशंकर मिश्र, 2. सुमीत मिश्र पुत्र राकेश मिश्र, 3. शिवम मिश्र पुत्र राकेश मिश्र, 4. लवकेश मिश्र पुत्र वेदपति मिश्र, 5. सर्वेश मिश्र पुत्र वेदपति मिश्र, 6. राकेश मिश्र पुत्र कमलाशंकर मिश्र, निवासीगण ग्राम-ककरा दुबावल, थाना-सरायइनायत, प्रयागराज व अन्य लोगों के विरूद्ध पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री जितेन्द्र प्रताप यादव, थाना-सरायइनायत द्वारा सम्पादित की गयी। साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्तगण पीताम्बर मिश्र आदि के विरूद्ध दिनांक 17-07-2022 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री।